2021/257

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अदालत श्रीमान् सहायक कलक्टर मुकाम डीडवाना

वादी श्री ओ० वायड अली खाँ बनाम प्रतिवादी श्री वायड अली खाँ

मुकदमा राजस्व-वाद 53, 88, 188 R.T.A. सं. 137/21 सन्

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/7/21 आज यह वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अ./धारा 53, 88, 188 RTA में पेश किया दर्ज हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल दिनांक: 15/8/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर डीडवाना	
	15/7/21 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 4/8/21 को पेश हो।	
	4/8/21 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होकर तामिल प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः पेश बैरंग पेश होने पर सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 22/9/21 को पेश हो।	
	23/8/21 वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है तथा वे उक्त वाद [illegible] है। अतः जरिये विड्रोल वादी [illegible] खारिज किया जावे। वकील वादी [illegible] का अवलोकन किया। वादी का जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तोड़ कार्यालय दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner